

speed Post

495447

319667029


488

THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

Post-og Seal Authority No: 38

Dated 9.12.17

[Handwritten signature]



To
The Principal Accountant General (A&E)
Andhra Pradesh & Telangana,
Saifabad, Hyderabad - 500004
of Dearness relief of State Government Pensioners,
Govt. Resolution No.

① Regarding revision of Pensional F.P of Bihar Pensioners due to implementation of 7th Pay Commission with read reckoners

to forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar. Resolution No. Dated for your needful action

requested to circulate this order to all Treasuries, Sub Treasuries and banks in your Jurisdiction for necessary action. Acknowledge the receipt of the same with enclosure

① पत्र संख्या - बि० (27) फो ऑ० - (पुन०) - 22/2017-801/बि० दिनांक - 14.11.2017
of Bihar Govt. Gen No.

Yours faithfully

[Handwritten signature]

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Date

for information and necessary action to:
Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vidya Vasini Sadan,
Patna-800013.
Office of E.A. Pensioner


Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

184
O/o Pr. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
04-DEC-17



495447

PH-TS OG



बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-01.01.2016 के बाद के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-381, दिनांक-23.05.2017 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगियों का औपबन्धिक पेंशन पुनरीक्षण किया गया है । अब राज्य वेतन आयोग द्वारा पेंशन के संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंप देने के पश्चात उसके आलोक में विस्तृत आदेश निर्गत किया जा रहा है ।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त दिनांक 01.01.2016 के बाद के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निम्न निदेश निर्गत किया जाता है:-

(i) दिनांक-01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 के आलोक में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जायगा, परन्तु दिनांक-31.03.2017 तक मात्र वैचारिक निर्धारण का लाभ देय होगा । वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से देय होगा ।

(ii) पेंशन की राशि- पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन अथवा अंतिम दस माह के औसत वेतन (जो अधिक हो) का 50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी जिसे सेवानिवृत्ति की तिथि को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवावधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा । पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी ।

(iii) परिवार पेंशन- परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी । परिवार पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी ।

(iv) न्यूनतम पेंशन- दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रू० 9,000 (नौ हजार) (अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) प्रतिमाह होगी ।